राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांक : 25.06.2013

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।

परिपत्र

विषय :– राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की पाक्षिक सूचना प्रेषित करने बाबत।

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 09.04.2013 की पालना में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एकल खिड़की/लोक सुनवाई सहायता केन्द्र की स्थापना एवं केन्द्र पर प्राप्त आवेदन पत्रों की पाक्षिक सूचना भिजवाने के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.05.2013 द्वारा निर्देश प्रसारित कर प्रपत्र (परिशिष्ट–1 एवं 2) में सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

सरकार ने उक्त सूचना बढ़ते क्रम (Progressive) रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया है। अतः प्रपत्र (परिशिष्ट–2) संशोधित कर संलग्न किया जा रहा है। सरकार ने दिनांक 20.04.2013 से सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एकल खिड़की/लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों की स्थापना की है। अतः प्रथम पक्ष की सूचना दिनांक 20.04.2013 से 30.04.2013 तक मानते हुये एवं आगे इसी क्रम में दिनांक 01.05.2013 से 15.05.2013 (प्रथम पक्ष) एवं 16.05.2013 से 31.05.2013 (द्वितीय पक्ष) तक की गणना कर प्रगति प्रेषित की जावे। इसी भांति आगे के पखवाड़ों की सूचना प्रेषित की जानी है।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.08.2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की पाक्षिक सूचना प्राप्त की जा रही है। उक्त सूचना भी बढ़ते क्रम (Progressive) में प्रेषित की जावे। अतः उक्त संदर्भ में पूर्व में जारी प्रपत्र को भी संशोधित कर प्रपत्र–3 व 4 संलग्न किया जा रहा है, भविष्य में उक्त सूचना अब इन प्रपत्रों में प्रेषित की जावे।। कृपया संशोधित प्रपत्रों में दिनांक 01.08.2012 से दिनांक 15.06.2013 की अवधि में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों/अपीलों की सूचना प्रेषित की जावे तथा दिनांक 15.06.2013 तक प्रेषित सूचना को आधारभूत सूचना मानते हुये आगे के पक्षों की सूचना बढ़ते क्रम में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे।

प्रति माह दिनांक 01 से 15 तक (प्रथम पक्ष) की सूचना माह की 20 तारीख तक एवं द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 तक की सूचना अगले माह की 5 तारीख तक भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न उपरोक्तानुसार (4 प्रपत्र)

25-6-2013
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकीय उपक्रम/निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।

25/6/13
(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 13(1)प्र.सु. / अनु.–1 / 2012 दिनांक 09.04.2013 की अनुपालना में **"एकल खिड़की / लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों (LSSKs)" की स्थापना की सूचना**

जिला कलक्टर कार्यालय : ....

सूचना अवधि : दिनांक 20.04.2013 से 30.04.2013 एवं 01.05.2013 से 15.05.2013 तथा दिनांक 15.05.2013 से आगे की सूचना

(सभी अवधियों की सूचना पृथक–पृथक प्रेषित की जावे)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति में स्थित कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लोक सुनवाई सहायता केन्द्र आरम्भ करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	सूचनाओं / योजनाओं का दीवारों पर (Wall Paintings) प्रदर्शित करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	लोक सुनवाई सहायता केन्द्र आरम्भ नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (सूची मय कारणों के संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6

25/6/13
(Banna Lal)
Director, Public Services

परिशिष्ट–2

प्रपत्र–2

(संदर्भ आदेश संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2012 दिनांक 09.04.2013)

एकल खिड़की/लोक सुनवाई सहायता केन्द्र पर प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों की पाक्षिक सूचना

(1) माह : ....

(2) सूचना अवधि – प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तक
द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 तक

क्र. सं.	जिला	दिनांक 20.04.2013 से ....तक			चालू पक्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	योग (कॉलम संख्या 5 व 6)	चालू पक्ष में निस्तारित आवेदन पत्र	चालू पक्ष के अन्त में लंबित आवेदन पत्र	लंबित रहने के कारण
		कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	शेष लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25/6/13
(Banna Lal)
Director, Public Services

हस्ताक्षर

परिशिष्ट–3

प्रपत्र–3

(संदर्भ परिपत्र संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2012 दिनांक 30.08.2012)

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारित *आवेदनों* की पाक्षिक सूचना (लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों पर प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना सहित)

(1) माह : ....

(2) सूचना अवधि – प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तक
द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 तक

क्र. सं.	जिला	दिनांक 01.08.2012 से ....गत पक्ष तक की सूचना			चालू पक्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	योग (कॉलम संख्या 5 व 6)	चालू पक्ष में निस्तारित आवेदन पत्र	चालू पक्ष के अन्त में लंबित आवेदन पत्र	लंबित रहने के कारण
		कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	शेष लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25/6/13
(Banna Lal)
Director, Public Services

हस्ताक्षर

परिशिष्ट–4

प्रपत्र–4

(संदर्भ परिपत्र संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2012 दिनांक 30.08.2012)

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारित *अपीलों* की पाक्षिक सूचना (लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों पर प्राप्त अपीलों सहित)

(1) माह : ....

(2) सूचना अवधि – प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तक
द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 तक

क्र. स.	जिला	दिनांक 01.08.2012 से ....तक की सूचना									लंबित रहने का कारण	शास्ति के प्रकरणों की संख्या	शास्ति राशि
		प्राप्त अपीलें			निस्तारित अपीलें			शेष अपीलें					
		प्रथम	द्वितीय	योग	प्रथम	द्वितीय	योग	प्रथम	द्वितीय	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

25/6/2013

(Banna Lal)
Director, Public Services

हस्ताक्षर